

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :- प्रार्थना पत्र संख्या 48/2020

प्रेम कुमार गर्ग पुत्र श्री गुरमुखराम जाति गर्ग निवासी 61 सेतिया फार्म पुलिस चौकी के सामने गली नम्बर 11 तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

-- प्रार्थी

--:: बनाम ::--

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

--:: उपस्थिति ::--

1. श्री प्रेम कुमार गर्ग
2. पैरोकार राज

-- प्रार्थी स्वयं
-- अप्रार्थी 1

-- :: निर्णय ::--

दिनांक :-12.01.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 15 एल एन पह सैकिण्ड ए तहसील श्रीगंगानगर को वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075 के संयुक्त खाता संख्या 42/24 मे प्रेमचन्द पुत्र गुरमुखमल के नाम 19/50050 है. कृषि भूमि दज कागजात है। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम प्रेम कुमार गर्ग व प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, पहचान पत्र में गुरमुखराम नाम अंकित है। व जमाबन्दी में अंकित सन्तोष देवी पुत्री गुरमुखमल राजरानी पुत्री गुरमुखमल मनोहरलाल पुत्र गुरमुखमल अंकित है। प्रार्थी निवेदन करता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि में प्रेमचन्द पुत्र गुरमुखमल व जमाबन्दी में अंकित सन्तोष देवी पुत्री गुरमुखमल राजरानी पुत्री गुरमुखमल पाहरलाल पुत्र गुरमुखमल में पिता का नाम गुरुमुखराम करवाना चाहता है। उक्त सभी सदस्य एक ही परिवार के है प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम प्रेम कुमार गर्ग व प्रार्थी के पिता का नाम गुरमुखराम अंकित है। दोनों एक ही व्यक्ति है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 15 एल एन पह सैकिण्ड ए तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075 के संयुक्त खाता संख्या 42/24 जरिये शुद्धि पत्र दुरुस्त करवाकर प्रार्थी का नाम प्रेम कुमार गर्ग पुत्र गुरमुखराम सन्तोष देवी पुत्री गुरमुखराम, राजरानी पुत्री गुरमुखराम, मनोहरलाल पुत्र गुरमुखराम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड करने के आदेश प्रदान किये जावें

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार पटवारी हल्का 15 एलएनपी की रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र वारिसनामा,आदि मे प्रार्थी के पिता का नाम गुरमुखराम दर्ज है जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता का नाम गुरमुखमल दर्ज है,

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्न पटवारी रिपोर्ट संलग्न है। अतः प्रार्थी का नाम संलग्न प्रार्थना पत्र अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित है।


-:: आदेश ::-

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 जमाबंदी 2076(वर्ष 2019)से स्थायी ग्राम का नाम 15 एलएनीपी, पटवार हल्का 15 एलएनीपी, , भू.अ.नि.क्षे. गणेशगढ खाता संख्या 42/24, आधार कार्ड गुरमुखराम पुत्र श्री तुलसीराम, मृत्यु प्रमाण पत्र गुरमुखराम, वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 17.06.1998 ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादान, आधार कार्ड प्रेम कुमार गर्ग कमांक 751275158324, निर्वाचन पहचान पत्र कमांक GJC/1818343, भामाशाह कार्ड आशा रानी पत्नी प्रेमकुमार गर्ग, मूल निवास प्रमाण पत्र कमांक RJ/2017/राजस्व विभाग/मूल निवास प्रमाण पत्र/19196297643, मूल निवास प्रमाण पत्र अदांक 27.02.2008, परिवार राशन कार्ड बार कोड संख्या 108501800275, जमाबंदी विरास्तन इंतकाल गुरमुखमल पुत्र तुलसीराम की प्रति पेश की। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 15 एल एन पह सैकिण्ड ए तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075 के संयुक्त खाता संख्या 42/24 जरिये शुद्धि पत्र दुरुस्त करवाकर प्राथी का नाम प्रेम कुमार गर्ग पुत्र गुरमुखराम सन्तोष देवी पुत्री गुरमुखराम, राजरानी पुत्री गुरमुखराम, मनोहरलाल पुत्र गुरमुखराम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(उम्मेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर